न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/जे0 एम०, गुन्नौर जनपद सम्भल।

परिवाद सं0–422/2022

विमलेश बनाम छत्रपाल आदि।

थाना–धनारी।

दिनांक 18–10–2022

अभियुक्त द्वारा परिवाद सं0–422/2022, धारा–498 ए,323,504 भा0 दं0 सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट जिला सम्भल के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि परिवाद की पूरी घटना बनावटी व झूठी है, प्रार्थी नें परिवादनी के साथ कभी कोई दहेज आदि की मांग नहीं की है। अभियुक्त परिवादनी का पति है। वह अपनी जमानत कराना चाहता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

मामला परिवाद पर आधारित है एवं पारिवारिक प्रकृति का है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को दिनांक 27–09–2022 को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उसके पश्चात् अभियुक्त की जमानत अवधि विस्तारित की जाती रही। अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्वेच्छया आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **छत्रपाल** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल मुव०– पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये के दो जमानती एवं इसी धनराशि का निजी बन्धपत्र पर अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाता है।

(पीयूष मूलचन्दानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुन्नौर
जनपद सम्भल।